08.10.024

पत्रावली पेश। वकील उभय पक्षकारान उप.। वकील प्रार्थी ने अपने तथ्यो को दोहराते हुए निवेद किया कि मौजा चौरा पटवार हल्का चौरा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 648 / 1734 रकबा 0.56 हैक्टयर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 702 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 703 रकबा 1.94 हैक्टयर, खसरा नम्बर 705 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 706 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 707 रकबा 2.41 हैक्टयर, खसरा नम्बर 519 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा 4.34 हैक्टयर जुनले रकबा 9.35 हैक्टयर प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी पैतृक आराजी आयी हुई है। उपरौक्त खातेदारी भूमि मुझ प्रार्थी की पुश्तैनी खातेदारी भूमि है जिस पर मुझ प्रार्थी का मौके पर अलग से कब्जा काश्त है तथा मौके पर मुझ प्रार्थी के उक्त भूमि में विद्युत कनेक्शन भी मेरे नाम से लिया हुआ है। परन्तु अप्रार्थीगण मुझे शुरू से ही तंग परेशान कर कब्जे से बेदखल करने पर उतारू है तथा मेरे साथ सौतेला व्यवहार करते है। अप्रार्थीगण मेरे बंट सुदा व कब्जा काश्त है तथा मौके पर मुझ प्रार्थी की रहवासीय ढाणी बनी हुई है जिसमें प्रार्थी परिवार सहीत निवास करता हूँ। अप्रार्थीगण मेरे बंट सुदा व कब्जा सुद्दा भूमि को आगे से आगे बैचान, बंटवाड़ा, रहन, तर्क दान और वगैर कर जबरन बेदखल करने पर उतारू है। इसलिए उन्हे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मूला वाद ताफैसला पाबंद फरमावे।

वकील प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 648 / 1734, 701, 702, 703, 2358 / 1734, 705, 706, व 707 को मुक्त करने का निवेदन किया और कहा प्रार्थी द्वारा उक्त खसरान नम्बरों पर कोई अनुतोष नही चाहा गया है बावजूद इसके उक्त खसरा नम्बरान पर मौके एवं रिकॉर्ड की गलत अंतरिम मांगी गई है। इस कारण अप्रार्थीगण को अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पूर्व न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.03.2020 को हम अप्रार्थीगण को उक्त खसरान से अतंरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है।

वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त खसरा नम्बरों 648 / 1734, 701, 702, 703, 2358 / 1734, 705, 706, व 707 को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मुक्त करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें वकील उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पुश्तैनी पैतृक समंपति होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण ... अंतिम रूप से ... किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रा... विरुद्ध मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा चौरा पटवार ... चौरा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 519 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 520 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 521 रकबा ... हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम।

(signature)

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner